न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 06/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/07

अपीलान्ट

1. मोहनराम पुत्र लच्छीराम
2. प्रभूराम पुत्र लच्छीराम
   समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण रेल्वे स्टेशन के पास, डीडवाना।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. नेमीचन्द पुत्र लच्छीराम
2. घासीराम पुत्र मूलाराम
   समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण रेल्वे स्टेशन के पास, डीडवाना।
3. धर्मपाल सिंह पुत्र जगमोहन सिंह, जाति राजपूत, निवासी भीराणा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
4. सुशीला चौधरी पत्नि डॉ. यशपाल लोमरोड़, जाति जाट, निवासी आंचल हॉस्पिटल, लाडनूं रोड़, डीडवाना।
5. खुमाराम पुत्र श्री पेमाराम, जाति जाट, निवासी नन्दवान, तहसील लाडनूं।
6. हल्का पटवारी, दादूबासनी।
7. तहसीलदार, डीडवाना।

<u>अपील अधीन धारा 75 एल.आर.एक्ट</u>
<u>अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 343 दिनांक 08.05.2024 तहसीलदार डीडवाना।</u>

उपस्थितः–

1. श्री पूरण सिंह बोहरा वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्रीमती सन्तोष जाजू वकील रेस्पोडेन्ट सं0 02 की ओर से।

–:निर्णयः–

दिनांक : 13.05.2025

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

1. अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 01 स्व. लच्छीराम के जायन्दा पुत्रगण है। अपीलार्थीगण के पिता लच्छीराम व काका बलाराम, घासीराम की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 734 रकबा 0.01[illegible], खसरा नम्बर 735 रकबा 0.200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 736 रकबा 8.41[illegible] हैक्टेयर कुल खसरे 03 कुल रकबा 8.4400 हैक्टेयर वाके सरहद म[illegible]बासनी पटवार हल्का [illegible]सनी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.06 15:33:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोलिया तहसील डीडवाना मं अवस्थित है। जिसके पूराने खसरा नम्बर 535 रकबा 52 बीघा 03 बिस्वा रहा है।

2. उक्त खेताय की भूमि में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 01 के पिता लच्छीराम का 1/3 हिस्सा रहा हैं तथा लच्छीराम के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 01 का 1/3–1/3 हिस्सा व कब्जा काश्त रहा है। बलाराम ने दिनांक 26.05.1998 को खसरा नम्बर 535 रकबा 52 बीघा 03 बिस्वा में से 19 बीघा भूमि भगवानाराम को बैचान कर दी जिस पर बलाराम ने अपने भाई लच्छाराम के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उनको साख डालने का कहकर धोखे से बैचाण पर अंगुठा निशान करवा लिये। जबकि अपीलार्थीगण के पिता लच्छाराम ने अपने जीवनकाल में कभी भी भूमि का बैचाण नहीं किया। बल्कि अपीलार्थीगण के काका बलाराम व घासीराम ने ही भूमि को बैचाण कर भगवानाराम को मौके पर कब्जा सुपर्द किया। अपीलार्थीगण के पिता लच्छाराम ने बैचाण के बाद मौके पर कब्जा कभी भी भगवानामरा को सुपुर्द नहीं किया तथा वह अपने हक हिस्से की भूमि पर निर्बाध रूप से बिना किसी रोक टोक के काबिज काश्त रहा है। अपीलार्थीगण के पिता के हस्ताक्षर छल व कपट से करवाये। जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 01 ने न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना के समक्ष वाद बाबत् घोषणा खातेदारी, रेकर्ड, दुरूस्ती, बंटवारा व बैचाणनामा शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने हेतु पेश किया तथा इसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 138/2022 पेश किया जो प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अन्य प्रत्यर्थीगण से मिलीभगत कर अपीलार्थीगण को बिना सूचना दिये बाला–बाला दिनांक 03.04.2024 को विड्रो कर लिया तथा दुसरे दिन दिनांक 04.040.2024 को प्रत्यर्थी धर्मपालसिंह, घासीराम व नेमीचन्द ने खुमाराम को अपना आम मुख्त्यार नियुक्त कर लिया।

3. अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी संख्या 01 नेमीचन्द द्वारा उक्त वाद व प्रार्थना पत्र विड्रो कर लेने की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण ने न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना के समक्ष एक नया ..... बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, बैचाणनामा निष्प्रभावी व शुन्य करवाने पेश किया तथा इसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 63/2024 पेश किया। जिस पर बाद सुनवाई न्यायालय सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.06 15:33:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

डीडवाना द्वारा दिनांक 02.05.2024 को अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया कि खसरा नम्बर 734, 735, 736 की भूमि का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करें तथा रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

4. प्रत्यर्थीगण को उक्त स्टे ऑर्डर की जानकारी होने के बावजुद आपस में मिलीभगत कर सांठ गांठ कर प्रत्यर्थी खुमाराम ने बहैसियत आममुख्त्यार धर्ममापल सिंह, घासीराम व नेमीचन्द के हक हिस्से की भूमि को प्रत्यर्थी सुशीला चौधरी को दिनांक 08.05.2024 को बैचाण कर दी जो दिनांक 08.05.2024 को पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 595 में पृष्ठ संख्या 190 क्रम संख्या 202403173101788 पर पंजीबद्ध किया गया, जिसके आधार पर नामान्तरणकरण संख्या 343 दिनांक 08.05.2024 को प्रत्यर्थी सुशीला चौधरी के हक में भरा गया। उक्त खसरान की भूमि पर स्टे ऑर्डर होने के बावजुद भी उक्त बैचाण कर नामान्तरकरण संख्या 343 दिनांक 08.05.2024 को भरा गया हैं जो विधि विरूद्ध व कानूनन गलत नामान्तरण भरा गया है। उक्त नामान्तरण से व्यथित होकर अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील पेश की जा रही हैं। अपील के आधार निम्न प्रकार से हैं–

<u>–ःअपील के आधारः–</u>

1. तहसीलदार डीडवाना द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 343 दिनांक 08.05.2024 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 63/2024 बअनुवान मोहनराम वगैरह बनमा मदनलाल वगैरह में दिनांक 02.05.2024 को खसरा संख्या 734, 735, 736 की भूमि का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करने तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी हुए थे। जिसके बावजुद प्रत्यर्थीगण ने मिलीभगत कर उपरोक्त खसरान की बेसकीमती भूमि को क्रेता प्रत्यर्थी सुशीला चौधरी को बैचाण कर दिया तथा उक्त बेचाण के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 343 भरा गया। जबकि विक्रित भूमि पर स्टे लगा हुआ था। इसलिए उक्त नामान्तरण अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
3. अपीलार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी सुदा भूमि जो संयुक्त रूप से रिकॉर्ड में दर्ज हैं का विभाजन वर्तमान में नहीं हुआ। जिसके बावजुद उपरोक्त विक्रताओं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.06 15:33:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

ने बेसकीमती भूमि का बैचाण कर मोटी रकम प्राप्त कर ली। जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 04.01.2025 को नकल लेने पर हुई। जिससे भी उक्त नामान्तरकरण अपास्त किये जाने योग्य है।

4. प्रत्यर्थीगण द्वारा पूर्व में किये बैचाणनामों को शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व घोषणा का वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना के समक्ष पेश कर रखा है। उक्त वाद के लम्बित रहने के दौराने भी प्रत्यर्थीगण ने उक्त रजिस्टर्ड बैचाण प्रत्यर्थी सुशीला चौधरी के नाम निष्पादित करवा कर नामान्तरण दर्ज करवा दिया। जिससे भी उक्त नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है।

5. प्रत्यर्थीगण ने षडयंत्र रचकर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 01 नेमीचन्द द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र को बाला–बाला अपीलार्थीगण को बिना बताये प्रत्यर्थी संख्या 01 नेमीचन्द ने दिनांक 03.04.2024 को विड्रो कर लिया तथा दुसरे दिन दिनांक 04.04.2024 को प्रत्यर्थी घासीराम, धर्मपाल व नेमीचन्द ने प्रत्यर्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 05 खुमाराम को अपना आम मुख्त्यार नियुक्त कर आनन फानन में दिनांक 08.05.2024 को उक्त रजिस्टर्ड बैचाणनामा प्रत्यर्थी संख्या 05 सुशीला चौधरी के हक में निष्पादित करवा दिया, जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 343 दर्ज किया। जबकि उक्त खसरान की भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद लम्बित था तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश जारी किये हुए था। जिससे भी उक्त नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है। आम मुख्त्यारनामा, रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 08.05.2024, नामान्तरण संख्या 343, स्थगन आदेश दिनांक 02.05.2024 की फोटो प्रति अपील के साथ पेश है।

6. राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच किये उक्त नामान्तरकरण संख्या 343 भरा गया हैं जिससे अपीलार्थीगण के हक अधिकार खतरें में पड़ गये हैं। जिससे अपीलाधीन नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है।

7. तहसीलदार/उपपंजीयक द्वारा उक्त खसरान की भूमि का बिना जांच पड़ताल किये उक्त बैचाणनामा पंजीयन नामान्तरण संख्या 343 स्वीकृत किया गया हैं जो न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलार्थीगण को उक्त रजिस्टर्ड बैचाण दिनांक 08.05.2024 व नामान्तरकरण संख्या 343 दिनांक 08.05.2024 की प्रथम बार जानकारी दिनांक 04.01.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.06 15:33:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

को नकल खतौनी लेने प्राप्त हुई। तब अपीलार्थीगण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बैचाणनामा, आम–मुख्त्यारनामा की नकल प्राप्त हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 13.01.2025 को प्राप्त हुई। इससे पूर्व अपीलार्थीगण को उक्त नामान्तरण की कोई जानकारी नहीं थी। जिससे उक्त अपील अन्दर मयाद हैं। अपील के साथ धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है।

अतः अपील अपीलार्थी पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन खेत खसरा नम्बर 734 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 736 रकबा 8.4100 हैक्टेयर कुल खसरे 03 कुल रकबा 8.4400 हैक्टेयर वाके सरहद मण्डाबासनी का नामन्तरण संख्या 373 दिनांक 08.05.2024 जरिये स्वीकृत तहसीलदार डीडवाना को अपास्त किये जाने का आदेश सादर फरमावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि बेचान पर स्थगन आदेश के बावजुद प्रत्यर्थी खुमाराम ने बहैसियत आममुख्त्यार धर्मपाल, घासीराम व नेमीचन्द के हक हिस्से की भूमि को प्रत्यर्थी सुशीला चौधरी को दिनांक 08.05.2024 को बेचान कर दी। अतः नामान्तरकरण संख्या 373 दिनांक 08.05.2024 को निरस्त फरमावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया दिनांक 08.05.2024 को सुशीला चौधरी के पक्ष में किया गया बेचान सही था। उक्त बेचान के आधार पर ही नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। जो सही दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि अपीलान्ट ने स्थगन की सूचना तहसील कार्यालय, पंजीयन कार्यालय, पटवारी हल्का या प्रत्यर्थीगण को दी गई हो। स्थगन की सूचना पंजीयन कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण ही उक्त बेचान किया गया है। वर्तमान में नामान्तरकरण स्वतः सर्वर द्वारा दर्ज किये जा रहे है। उक्त नामान्तरकरण अपील द्वारा स्वतः सर्वर द्वारा ही दर्ज किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukaraj Sen
Date: 2025.06.06 15:33:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

स्थगन के अंकन के अभाव में उक्त बेचान का नामान्तरकरण बेचान होने के पश्चात दर्ज किया गया है। सहायक कलक्टर डीडवाना के न्यायालय में उनवान मोहनलाल बनाम मदनलाल वाद/प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। अपीलान्ट उक्त न्यायालय से रिलीफ प्राप्त कर सकते है। वर्तमान में अगर स्थगन आदेश प्रभावी है तो तहसीलदार डीडवाना उक्त स्थगन आदेश का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करें। स्थगन आदेश की प्रति तहसीलदार डीडवाना को भिजवाई जावें। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.06 15:33:02 IST
Reason: SelfAttested